**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 575**

**दिनांक 25 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**ऑक्सीटोसिन औषध**

**575. श्रीमती रक्षातनिखिल खडसेः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऑक्सीटोसिन औषध, जिसका उपयोग प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने और रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, का डेयरी क्षेत्रक द्वारा दुरुपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाने के कारण इसे उत्पादित करने और बेचने से निजी कंपनियों को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)**

**(क)और (ख):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26क के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके से घरेलू उपयोग के लिए ऑक्सीटोसिन योगों के विनिर्माण को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित करने के लिए जी.एस.आर.सं. 411 (अ) दिनांकित 27.04.2018 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसे बाद में जी.एस.आर सं. 794 (अ) दिनांकित 21.08.2018 के तहत संशोधित किया गया था जो शुरू में 01.07.2018 से प्रभावी थी और जिसे बाद में जी.एस.आर सं.602(अ) दिनांकित 29.06.2018 के तहत स्थगित किया गया था जो 01.09.2018 से प्रभावी थी:-

i. घरेलू उपयोग के लिए ऑक्सीटोसिन योगों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कंपनियों द्वारा किया जाएगा और उत्पाद के लेबल पर बारकोड होगा।

ii. निर्यात प्रयोजनों के लिए ऑक्सीटोसिन योगों का निर्माण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों दोनों के लिए खुला रहेगा और निर्यात के लिए इस तरह के विनिर्माण के पैकों पर बारकोड होगा।

--2/-

iii. ऑक्सीटोसिन के सक्रिय औषध घटक (एपीआई) के विनिर्माता घरेलू उपयोग के लिए उक्त दवा के विनिर्माण के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माताओं को ही एपीआई की आपूर्ति करेंगे।

iv. ऑक्सीटोसिन की सक्रिय दवा घटक के विनिर्माता निर्यात प्रयोजन के लिए उक्त दवा के योगों के निर्माण के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विनिर्माताओं को उक्त सक्रिय दवा घटक की आपूर्ति करेंगे।

v. औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक कंपनियों या उपक्रमों द्वारा विनिर्मित ऑक्सीटोसिन योगों को इस तरह के नियमों के अनुसार वितरित किया जाएगा अथवा बेचा जाएगा।

तथापि, कुछ प्रभावित पक्षों ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अधिसूचना जी.एस.आर सं. 411(अ) दिनांकित 27.04.2018 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.12.2018 को अंतिम निर्णय सुनाया और अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके बाद, सरकार ने दिनांक 04.01.2019 को भारत के उच्चतम् न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या ( एस) 3296-3299/2019 दायर की है।

******